

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा.सं.7/13/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2022

संशोधन अधिसूचना

विषय: चीन जन गण और थाईलैंड से "फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अधिसूचना के लिए शुद्धिपत्र।

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (डंप किए गए वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के संबंध में। , उसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा विषय निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में अधिसूचना संख्या 7/13/2022-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2022 के तहत जारी जांच शुरू करने की अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार करता है:

अधिसूचना के विषय को "चीन जन गण फोर्जिंग ग्राइंडिंग मीडिया बॉल को छोड़कर 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत" को सही किया गया है, जो कि अब "चीन जन गण और थाईलैंड से फोर्जिंग ग्राइंडिंग मीडिया बॉल को छोड़कर 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' के आयात से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत" है।


(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी